>

Title: Need to declare Aligarh Muslim University as minority institution.

श्रीमती राजकुमारी चौहान (अलीगढ़): सभापति महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का समय देने के लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

महोदय, अलीगढ़ में विश्वविख्यात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जो पूरे विश्व में मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा का प्रेरणा-स्रोत है। इसकी स्थापना सर सैय्यद अहमद खां ने सन् 1872 में एमएओ कॉलेज के रूप में की। सर सैय्यद अहमद खां मुस्लिम समाज को अच्छी और आधुनिक शिक्षा देने के पक्षधर थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत सन् 1920 मे इस विश्वविद्यालय की स्थापन हुई। इसके बाद यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित होता चला गया। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1972 के अनुसार अल्पसंख्यक से इसके हक छीनने का प्रयास हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इस अधिनियम द्वारा अल्पसंख्यक रूप नहीं रहने दिया गया। सन् 1972 से लेकर आज तक अल्पसंख्य मुस्लिम समाज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप देने के लिए तथा सर सैय्यद अहमद खां के सपनों को साकार करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ता चला आ रहा है।

महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1972 में परिवर्तन करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसे अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने के लिए सरकार को निर्देशित करें।

सभापति महोदय : आज यह माननीय सदस्या की मैडेन स्पीच है। आज कई माननीय सदस्यों को पहली बार अवसर मिल रहा है।